

सं.48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	मई 2021 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलमी खजाना बिल (एटीबी)
1	2	3	4	5	
1	आंध्र प्रदेश	8726	860	--	-
2	अरुणाचल प्रदेश	1733	3	--	-
3	असम	4004	57	--	-
4	बिहार	5878	--	--	-
5	छत्तीसगढ़	4933	--	1	4608
6	गोवा	627	316	--	-
7	गुजरात	5128	505	--	-
8	हरियाणा	810	1279	--	-
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	-
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	-
11	झारखण्ड	289	--	--	-
12	कर्नाटक	6064	--	--	15000
13	केरल	2251	--	--	-
14	मध्य प्रदेश	--	966	--	-
15	महाराष्ट्र	44294	661	--	6000
16	मणिपुर	162	106	--	-
17	मेघालय	761	44	9	-
18	मिज़ोरम	369	48	--	-
19	नगालैंड	1725	35	--	-
20	उड़ीसा	11766	1535	89	17005
21	पुदुचेरी	323	--	--	807
22	पंजाब	1410	--	8	-
23	राजस्थान	--	--	129	2000
24	तमिलनाडु	6989	--	40	17414
25	तेलंगाना	5966	1299	--	-
26	त्रिपुरा	392	9	--	600
27	उत्तराखण्ड	976	--	180	-
28	उत्तरप्रदेश	3434	134	--	-
29	पश्चिम बंगाल	9355	609	214	-
	कुल	128366	8465	669	63433

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।